उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान प्रभाग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न संख्या 1: क्या विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के अधीन आवश्यक घोषणाओं को केवल जूते के डिब्बे पर घोषित करना पर्याप्त है, या जूते पर भी घोषित करने की आवश्यकता है?

उत्तरः यदि नियमों के तहत आवश्यक सभी घोषणाएं जूते के डिब्बे पर या उस पर चिपकाए गए/ दिखाई देने वाले लेबल पर स्पष्ट रूप से दी गई हैं, तो इसे जूते पर अलग से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह डिब्बे में बेचा जा रहा है।

प्रश्न सं 2: क्या बिना डिब्बे के बेचे जाने वाले जूतों के लिए भी घोषणा की आवश्यकता है?

उत्तरः डिब्बे के अभाव में, उपभोक्ताओं के हित में घोषणाएं जूते पर टैग या स्टिकर या अन्य तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है।

प्रश्न सं 3: लीगल मेट्रोलॉजी (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के लिए क्या ₹ का प्रतीक अनिवार्य है या "रु" शब्द की भी अनुमति है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुए) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या तो "₹" प्रतीक के साथ या "रु." शब्दों के साथ की जा सकती है।

प्रश्न सं 4: क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 22 फीलर गेज पर लागू होती है।

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'फीलर गेज' वर्तमान में कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

प्रश्न सं 5: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल संकेतकों" पर लागू होती है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल इंडिकेटर' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, वर्तमान में इन उपकरणों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं 6: बहुत उच्च परिशुद्धता वर्ग की तौल मशीनों का सत्यापन, स्टैम्पिंग और सीलिंग, कस्टम क्लीयरेंस से पहले या उपयोग के स्थान पर, स्थापना के बाद किया जाना आवश्यक है?

आशुतोष अग्रवाल

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/ 33 और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27 के अनुसार, बहुत उच्च सटीकता वाले वजन करने वाली मशीनों का सत्यापन, मुद्रांकन और सीलिंग, उपयोग में लाने से पहले स्थापना के स्थान पर किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न सं 7: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "लोड सेल" पर लागू होती है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित भार और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन भारों और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'लोड सेल' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें जल्द ही इन नियमों के तहत जोड़ा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में 'इन लोड सेल' के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं 8: मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण। क्या निर्माण के समय या मुद्रांकन प्लेट पर बिक्री के समय वजन/ मापने वाली मशीनों पर घोषित किया जाना आवश्यक है?

उत्तरः मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण, निर्माण के समय वजन/मापने वाली मशीनों पर, घोषित करने की सलाह दी जाती है लेकिन बिक्री/ उपयोग में लाने से पहले अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न सं 9: आर एंड डी या अन्य उद्देश्यों के लिए, उनके विशेष उपयोग के अनुसार, वजन मशीन का आयात कैसे किया जाए, जिसके लिए निर्माण के देश में मॉडल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उत्तरः अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए, बहुत कम तौल/मापन उपकरणों (5 से अधिक नहीं) का आयात किया जा सकता है। हालाँकि, इन मशीनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बेचा/ उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे आयात की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए विधिक माप विज्ञान के संबंधित नियंत्रक को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

प्रश्न सं 10: क्या पैकेज्ड कमोडिटीज नियम (एलएमपीसी नियम के रूप में जाना जाता है) संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आयातित (खुदरा बिक्री के लिए नहीं), उत्पादों के लिए लागू हैं जिसमें एमआरपी की घोषणा, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि शामिल हैं?

उत्तरः लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिक्री से पहले पैकेज पर 'खुदरा बिक्री के लिए नहीं' की घोषणा होनी चाहिए।

प्रश्न सं। 11: क्या अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता है?

उत्तरः विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं है।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न संख्या 12: क्या "ब्रांड स्वामी" के पूर्ण नाम और पते के साथ "विपणनकर्ता" की घोषणा विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1)(क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है?

उत्तर: हां, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 10 के अनुसार ब्रांड स्वामी के पूर्ण नाम और पते की घोषणा "विपणनकर्ता"/ "ब्रांड स्वामी" शब्दों के साथ नियम 6(1)(क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या 13: बाहरी कार्टन को आम तौर पर शिपर कार्टन/परिवहन बॉक्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुद्रित शुद्ध वजन/सकल वजन/कार्टन के आयाम होते हैं, जिसमें वस्तु के साथ इकाइयों/टुकड़ों आदि में शुद्ध मात्रा की पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाएं होती हैं। क्या आयातक के पास एक तौल मशीन होना आवश्यक है जब बाहरी कार्टन/शिपर कार्टन/परिवहन डिब्बे के अंदर पैक की गई वस्तु को वजन या मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि संख्या के आधार पर बेचा जाता है।

उत्तर: उन विक्रेताओं के लिए सत्यापित और मुहर लगी वजन करने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं जो वस्तुओं को खुले में बेचते हैं। इसके अलावा, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 का नियम 18 (7) प्रदान करता है कि:

"18(7) सभी फुटकर विक्रेता जो वस्तु और सेवा कर के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं **और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है** वे कम से कम वर्ग III परिशुद्धता वाली इलैक्ट्रानिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा, मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद ज।री करने की सुविधा वाली तौलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं को लाभ के लिए निशुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वज़न को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।"

प्रश्न संख्या 14: क्या पी पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों में बाहरी डिब्बे पर किसी अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता होती है जिसे आम तौर पर शिपर डिब्बे/ परिवहन डिब्बे के रूप में जाना जाता है।

उत्तर: बॉक्स पर यह उल्लेख करना विक्रेताओं/ थोक विक्रेताओं आदि के हित में है कि क्या यह एक 'थोक पैकेज' है या स्पष्टता के लिए केवल 'शिपिंग/ परिवहन' उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रश्न संख्या 15: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधान गैस मीटरों पर लागू होते हैं।

उत्तर: गैस मीटरों को शामिल करने के लिए 21 अप्रैल, 2025 को जी. एस. आर. 242 (अ) के माध्यम से विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया था, जो 01 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इसलिए, 01 सितंबर, 2025 से पहले विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 16 : क्या निर्माता पैकेज्ड वस्तुओं पर फ़ॉन्ट का आकार, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़ा घोषित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 7 में इन नियमों के अंतर्गत घोषणा के लिए किसी भी अंक और अक्षर की न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता का प्रावधान है और निर्माता/पैकर/आयातकर्ता इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़े फ़ॉन्ट में घोषणा कर सकते हैं।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न संख्या 17: क्या सभी घोषणाएँ एक ही स्थान पर मुख्य प्रदर्शन पैनल पर घोषित की जाएँगी?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 2(एच) में प्रावधान है कि:
किसी पैकेज के संबंध में, "मुख्य प्रदर्शन पैनल" का तात्पर्य पैकेज के उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से है जहाँ इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित तरीके से दी जानी है, अर्थात्:-
(i) सभी सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है; या
(ii) पूर्व-मुद्रित सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है और ऑनलाइन सूचनाओं को दूसरे स्थान पर समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है;

प्रश्न संख्या 18 : क्या संयुक्त पैकेजों के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा लागू है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार, संयुक्त पैकेज, समूह पैकेज या बहु-टुकड़ा पैकेज के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा करना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न संख्या 19 : क्या संयोजन पैकेजों की शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा मान्य है?

उत्तर: हाँ। शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा का उपयोग अन्य घोषणाओं जैसे संख्या, इकाई, सेट, टुकड़ा, जोड़ी या ऐसे अन्य शब्दों के अलावा किया जा सकता है जो पैकेज में मात्रा को दर्शाते हैं।

प्रश्न संख्या 20: क्या घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तौल उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य है?

उत्तर: बिक्री/उपयोग में लाने से पहले सभी तौल और माप उपकरणों का प्रारंभिक सत्यापन अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 21: क्या आयातित उत्पाद के खुदरा पैकेज पर विदेशी निर्माता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के नियम 6 के अनुसार, निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है। इसलिए, मूल देश की घोषणा के साथ आयातित उत्पाद के लिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के तहत आयातक का नाम और पता घोषित करना पर्याप्त अनुपालन है।

प्रश्न संख्या 22 : क्या उद्योगों द्वारा आंतरिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बाटों या मापों का पुनः सत्यापन आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27(2) में प्रावधान है कि:

(2) पुनर्सत्यापन निम्नलिखित अवधि के पूरा होने पर किया जाएगा:

(क) सभी बाटों, धारिता मापों, लम्बाई के माप, टेप, बीम स्केल और काउण्टर मशीन के लिए चौबीस महीने,

(ख) भण्डारण टैंकों के लिए 60 महीने, और

(ग) उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित के अलावा टैंक लारी सहित सभी बाट या मापक के लिए बारह महीने,

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

"परंतु ऐसे बाट और माप, जिनका उपयोग, उद्योगों द्वारा अपने आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है और जो ग्राहक को परिदत्त मात्रा पर प्रभाव न डालते हों या जिन्हें किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, के लिए ऐसा पुनः सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।"

प्रश्न संख्या 23: क्या "खुदरा बिक्री के लिए नहीं - केवल संस्थागत ग्राहकों के लिए" और "मूल्यांकन नमूने- बिक्री के लिए नहीं" अंकित उत्पाद पैक पर एम. आर. पी. की अनुपस्थिति या अस्पष्टता (छिपाना/ काला करना/ढकना) की अनुमति है?

उत्तर: विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार, संस्थागत पैकेजों को एमआरपी की घोषणा सहित नियमों के प्रावधानों से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे पैकेजों पर एमआरपी की अनुपस्थिति या अस्पष्टता की अनुमति है, बशर्ते वे स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से "खुदरा बिक्री के लिए नहीं- केवल संस्थागत ग्राहकों के लिए" या " मूल्यांकन नमूने-बिक्री के लिए नहीं" के रूप में चिह्नित हों और खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 24: *मादक (स्पिरिटयुक्त) मदिरापान योग्य पेयों की शुद्ध मात्रा (Net Quantity) कैसे निर्धारित की जाती है?*

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार, वजन या आयतन द्वारा घोषित शुद्ध मात्रा पर अधिकतम अनुमेय त्रुटियाँ (Maximum Permissible Errors) निम्नानुसार हैं:

(1) वजन या आयतन द्वारा घोषित किसी भी वस्तु की शुद्ध मात्रा में अधिकता या कमी की अधिकतम अनुमेय त्रुटि नीचे दी गई तालिका-1 के अनुसार होगी:

तालिका-1

वजन या आयतन द्वारा घोषित शुद्ध मात्रा पर अधिकतम अनुमेय त्रुटियाँ

क्रम संख्या	घोषित मात्रा (ग्राम या मिलीलीटर)	अधिकतम अनुमेय त्रुटि (अधिक या कम)	
		घोषित मात्रा का प्रतिशत	ग्राम या मिलीलीटर
(i)	50 तक	9	—
(ii)	50 से 100	—	4.5
(iii)	100 से 200	4.5	—
(iv)	200 से 300	—	9
(v)	300 से 500	3	—
(vi)	500 से 1000	—	15
(vii)	1000 से 10000	1.5	—
(viii)	10000 से 15000	—	150
(ix)	15000 से अधिक	1.0	—

(2) प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि को 1000 ग्राम या एमएल से कम या उसके बराबर घोषित मात्रा के लिए ग्राम या एमएल के निकटतम दसवें भाग तक और 1000 ग्राम या एमएल से अधिक घोषित मात्रा के लिए अगले पूरे ग्राम या एमएल तक पूर्णांकित किया जाएगा।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न संख्या 25: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत एलएनजी अंशांकन किट के मॉडल का अनुमोदन आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत समग्र रूप से एलएनजी अंशांकन किट के लिए एक अलग मॉडल अनुमोदन आवश्यक नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है:

(i) एलएनजी अंशांकन किट का एफसीआरआई या किसी अन्य सरकारी प्रयोगशाला द्वारा जलीय माध्यम में समय-समय पर अंशांकन किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक किट के लिए ऐतिहासिक अंशांकन डेटा लगभग 10 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान या संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; और

(iii) किट में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल और प्रवाह मीटर का विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत वैध मॉडल अनुमोदन होना चाहिए।

इसलिए, जबकि एक समग्र प्रणाली के रूप में किट को अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसके सभी अलग-अलग माप घटकों को अनुमोदित मॉडलों के अनुरूप होना चाहिए और आवधिक अंशांकन और रिकॉर्ड रखरखाव के माध्यम से समग्र अंशांकन अनुरेखण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक अंशांकन डेटा का रिकार्ड रखने के लिए आवेदक को प्रत्येक बार, जब भी उक्त किट का अंशांकन किया जाएगा, इस कार्यालय को उक्त अंशांकन प्रमाणपत्र/डेटा उपलब्ध कराना होगा।

प्रश्न 26: क्या विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार इकाई बिक्री मूल्य (यूएसपी) को ठीक दो दशमलव स्थानों (उदाहरण के लिए ₹1.30 /ग्राम या रु.1.30 /ग्राम) में घोषित करना अनिवार्य है, ताकि उसे दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जा सके या क्या रु.1.3 /ग्राम या ₹1.3 /ग्राम घोषित करना पर्याप्त है?

उत्तर: विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(11) के अनुसार इकाई विक्रय मूल्य को निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। नियम यह अनिवार्य नहीं करता कि मूल्य हमेशा दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों में दर्शाया जाना चाहिए।

तदनुसार, जहाँ परिकलित USP एक दशमलव स्थान से आगे नहीं बढ़ता है (उदाहरण के लिए, ₹65.00 ÷ 50 ग्राम = ₹1.3/ग्राम), इसे ₹1.3/ग्राम या रु.1.3/ग्राम घोषित करना अंकगणितीय रूप से सही और अनुपालन योग्य है, क्योंकि इसे पहले ही निकटतम दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जा चुका है।

हालाँकि, एकरूपता और गलत व्याख्या से बचने के लिए, निर्माता, पैकर और आयातक वैकल्पिक रूप से USP को ₹1.30/ग्राम या रु.1.30/ग्राम घोषित कर सकते हैं, हालाँकि अंतिम शून्य को हटाना नियमों के तहत उल्लंघन या गलत बयानी नहीं माना जाता है।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न 27: 22.09.2025 से पहले बने/ पैक/ इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स और प्री-प्रिंटेड पैकेजिंग मटीरियल पर GST रेट में बदलाव की वजह से 18.09.2025 को MRP बदलने की इजाज़त 31.03.2026 तक दी गई है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या इन सही किए गए प्रोडक्ट्स/पैकेज को 31.03.2026 के बाद बेचा जा सकता है।

उत्तर: हाँ, 22.09.2025 से पहले बने/ पैक/ इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स और प्री-प्रिंटेड पैकेजिंग मटीरियल पर MRP बदलने की इजाज़त 31.03.2026 तक दी गई है। हालाँकि, बताए गए प्रोडक्ट्स/ पैकेज को 31.03.2026 के बाद, उनकी लाइफटाइम तक बेचा जा सकता है।

प्रश्न 28: क्या लीगल मेट्रोलॉजी (पैकबंद वस्तुएँ) नियम, 2011 के तहत पहले से पैक की गई वस्तुएँ पर कंज्यूमर केयर नंबर बताने के नियम का पालन करने के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, पहले से पैक की गई वस्तु पर कंज्यूमर केयर नंबर बताने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक चालू/ काम करने वाला टोल फ्री नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रश्न 29: क्या मैन्युफैक्चरर का कोई ऑथराइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत, उन राज्यों में बाट या माप इंस्ट्रूमेंट्स की रिपेयर या मेंटेनेंस कर सकता है, जहाँ उसके पास रिपेयरर लाइसेंस नहीं है?

उत्तर: मैन्युफैक्चरर का कोई ऑथराइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्य में वैलिड रिपेयरर लाइसेंस है, उस मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पूरे देश में नॉन-वेइंग या नॉन-मेज़रिंग कंपोनेंट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या सर्विसिंग कर सकता है। हालाँकि, मेज़रमेंट एक्यूरेसी पर असर डालने वाली मेंटेनेंस या सर्विसिंग (जैसे, लोड सेल, डिस्प्ले, मास फ्लो मीटर, कंट्रोलर, इत्यादि) सिर्फ़ मैन्युफैक्चरर ही करेगा, और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

प्रश्न 30: क्या कोई आवेदक राज्य सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ अपील कर सकता है?

उत्तर: हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 के सेक्शन 50(1) (d) के अनुसार, किसी भी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर के दिए गए हर फैसले या ऑर्डर के लिए, संबंधित राज्य के नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पास अपील की जा सकती है।

प्रश्न 31: क्या कोई मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्य में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा जारी डीलरशिप लाइसेंस पर पूरे देश में अपने बाट और माप बेच सकता है?

उत्तर: हाँ, कोई मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्य में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा जारी डीलरशिप लाइसेंस पर पूरे देश में अपने बाट और माप बेच सकता है।

प्रश्न 32: क्या विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियम, 2011 के अनुसार खुले परिधान के पैकेज पर पैकेजिंग की तारीख बताना ज़रूरी है? (E-37731)

उत्तर : विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियम, 2011 के नियम 26, खंड (च) और खंड (छ) में यह प्रावधान है:
"26.कुछ पैकेजों के बारे में छूट इन नियमों की कोई बात ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी जैसे कोई वस्तु यदि----

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhavan, New Delhi

(च) वस्तुएं परिधान या होजरी होने के नाते प्वाइंट ऑफ सेल पर खुले या मुक्त रूप से इस प्रकार से विक्रय किये जाएं कि उपभोक्ता खरीदारी करने से पहले उत्पादों का निरीक्षण कर सकेः परन्तु यह कि ऐसे उत्पादों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थातः-

(i) आयात किए गए उत्पादों के मामले में मूल देश या विनिर्माण के देश के साथ विनिर्माता या विपणक या ब्रांड के मालिक या आयातक का नाम और पता;

(ii) कन्ज्यूमर केयर ई-मेल आईडी और फोन नंबर;

(iii) सेंटीमीटर या मीटर के संदर्भ मीट्रिक अंकन में उत्पाद का आकार जैसा भी मामला हो या के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य आकार संकेतकों जैसे कि एस, एम, एल, एक्सएल, एक्सएक्सएल और एक्सएक्सएक्सएल के साथ सेंटीमीटर या मीटर के संदर्भ में, या जैसा भी मामला हो मीट्रिक अंकन में विवरण के साथ हो सकता है।

(iv) भारतीय मुद्रा में सभी करों सहित पैकेज का अधिकतम खुदरा मूल्य;

बशर्ते यह भी कि यदि बिक्री ई-कॉमर्स के माध्यम से की जाती है तो उपर्युक्त सूचना को ई-कॉमर्स वेबवसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कोई विनिर्माता, या पैककर्ता या आयातक इस खंड के आरंभ होने की तिथि के होते हुए भी तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त सूचना की घोषणा कर सकता है।

(छ) इसमें ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से ऑर्डर की गई खुली वस्तुएं शामिल है, जहां उपभोक्ता ऑर्डर की गई वस्तु, उसके प्रकार और मात्रा के बारे में जानते हैं;

परंतु ऐसी वस्तुओं को निम्नलिखित जानकारी वहन करनी होगी, अर्थात्:-

(i) आयात किए गए उत्पादों के मामले में मूल देश या विनिर्माण देश के साथ विनिर्माता या विपणक या ब्रांड के मालिक या आयातक या विक्रेता का नाम और पता;

(ii) कन्ज्यूमर केयर ई-मेल आईडी और फोन नम्बर;

(iii) भारतीय मुद्रा में सभी करों सहित पैकेज का अधिकतम खुदरा मूल्य; और

(iv) शुद्ध मात्रा, बाट या माप की मानक इकाई के संदर्भ में, या जहां वस्तु संख्या, वस्तु की संख्या द्वारा विक्रय की जाती है।"

अतः, खुले कपड़ों के पैकेट पर पैकेजिंग की तारीख घोषणा करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न 33: क्या द्रव्य रसायन की शुद्ध मात्रा वजन या आयतन के संदर्भ में घोषित किया जा सकता है? (E-35196)

उत्तर : हां। विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 की चौथी अनुसूची के क्रमांक 16 के अनुसार, पैकेज्ड रूप में द्रव्य रसायनों को वजन या आयतन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा घोषित करने की अनुमति है।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न सं. 34: पारदर्शी बोतल में एमआरपी आदि की घोषणा कैसे करें? (E-38074)

उत्तर: घोषणाएँ करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी घोषणाएँ सुपाठ्य और स्पष्ट हों, जैसा कि विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 9 में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि:

"9. घोषणा की रीति (1) इन नियमों अधीन किसी पैकज पर किए जाने के लिए अपेक्षित हर घोषणा---

(क) सुपाठ्य, और बड़े अक्षरों में;

(ख) फुटकर विक्रय मूल्य और शुद्ध मात्रा की संख्या की घोषणा पैकेज पर ऐसे रंग में मुद्रित, पेट की गई अथवा अंकित की गई जो कि लेबल की पृष्ठभूमि से स्पष्टतया पृथक होगी;

परन्तु कि:

(क) जहां कोई लेबल पर जानकारी किसी कांच या प्लास्टिक के तल पर धमित, अभिरुपित अथवा ढाली गई हो, वहां ऐसी जानकारी की भिन्न रंग में उपदर्शित किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी;

(ख) जहां किसी पैकेज पर कोई घोषणा या तो हस्तलिखित या हस्तलिपि के रूप में मुद्रित की गई हो, वहां ऐसी घोषणा स्वरुप, असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी।

(2) ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे पैकेज में अंतर्विष्ट किसी तरल वस्तु के माध्यम से पढे जाने की अपेक्षा हो।

प्रश्न सं. 35: क्या पैकेज पर पहले से मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को काटकर या निरस्त करके संशोधित कम MRP दर्शाना, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के अंतर्गत अनुमत है? (E-37731)

उत्तर: पैकेज पर कम किया गया अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) घोषित करना, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 6(3) के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि इन नियमों के अंतर्गत आवश्यक घोषणाओं में परिवर्तन करने या उन्हें दर्शाने हेतु पैकेज पर व्यक्तिगत स्टिकर चिपकाना अनुमत नहीं होगा: परंतु अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को कम करने के उद्देश्य से संशोधित कम MRP (सभी करों सहित) वाला स्टिकर चिपकाया जा सकता है, बशर्ते कि वह निर्माता या पैकर द्वारा पैकेज पर पहले से अंकित MRP को ढके नहीं।

2. अतः नियमों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के हित में कम MRP की घोषणा की अनुमति देते हुए, मूल MRP घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और उसे छिपाया न जाए,। इसलिए, यदि पहले से मुद्रित MRP स्पष्ट और पढ़ने योग्य बना रहता है, तो उसे काटकर या निरस्त करके संशोधित कम MRP दर्शाना, बिना मूल MRP को छिपाए और संशोधित कम MRP को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए, नियम 6(3) के प्रावधान के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं होगा।

3. अतएव, यह सुनिश्चित करते हुए कि मूल MRP स्पष्ट और पढ़ने योग्य बना रहे तथा संशोधित कम MRP स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, पहले से मुद्रित MRP को काटना या निरस्त करना अथवा कम MRP दर्शाने के लिए स्टिकर चिपकाना अनुमत माना जा सकता है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बनी रहती है और मूल घोषणा को छिपाने या भ्रामक रूप से बदलने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

आशुतोष अग्रवाल

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

प्रश्न संख्या 36: क्या भारत में आयातित बाट और माप उपकरणों के लिए अलग प्रतिमान का अनुमोदन की आवश्यकता है? (E-37429)

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि:

"22. प्रत्येक व्यक्ति, किसी बाट या माप का विनिर्माण या आयात करने से पूर्व ऐसी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्राधिकारी से, जो विहित किया जाए, उस बाट या माप के प्रतिमान का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परंतु प्रतिमान का ऐसा अनुमोदन, किसी ढलवां लोहे, तांबे, बुलियन या कैरट बाट या किसी किरणपुंज मान, लंबाई माप (जो मापमानी टेप नहीं है), जिनका सामान्यतया वस्त्र या काष्ठ मापने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, क्षमता में बीस लीटर से अनधिक क्षमता माप, जिनका सामान्यतया मिट्टी का तेल, दूध या पेय लिकरों का माप करने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, के संबंध में अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे बाट या माप का प्रतिमान, जो भारत से बाहर किसी देश में अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है तो वह ऐसे प्रतिमान का किसी परीक्षण के बिना या ऐसे परीक्षण के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अनुमोदन कर सकेगा।"

इसलिए, विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, बाट या माप उपकरणों के निर्माण या आयात से पहले ऐसे बाट और माप के अनुमोदन की मंजूरी अनिवार्य है। हालाँकि, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत, अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमोदन प्रमाणपत्र, विदेशी/ओआईएमएल अनुमोदन प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी किया जा सकता है, यदि भारत के बाहर किसी देश में ऐसा अनुमोदन विधिक माप विज्ञान, अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित मानकों के अनुरूप है।

प्रश्न संख्या 37: क्या अन्य जमे हुए खाद्य पदार्थों पर भी, विधिक मापन (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत आइसक्रीम और अन्य समान जमे हुए उत्पादों की शुद्ध मात्रा की घोषणा "वजन या आयतन" में करना, लागू होता है? (ई-35196)

उत्तर: शुद्ध मात्रा की घोषणा विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, अर्थात् ठोस (solids) पदार्थों के लिए वजन (weight) और तरल (liquids) पदार्थों के लिए आयतन (volume) में, सिवाय उन मामलों के जिनमें विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 की चौथी अनुसूची में आइसक्रीम और अन्य समान जमे हुए उत्पादों के लिए "वजन या आयतन" (weight or volume) में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

प्रश्न संख्या 38: क्या राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क/राज्य उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन के मामले में अल्कोहोलिक बिवरेज के निर्माता/आयातक घोषित फुटकर विक्रय मूल्य को संशोधित कर सकते हैं और न बेचे गए स्टॉक पर स्टिकर लगा सकते हैं? (E-19558)

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 (1) (ड.) के प्रावधान में कहा गया है कि

"परन्तु यह कि अल्कोहोलिक बिवरेज अथवा स्परिटियूस लिकर वाले पैकेजों के लिए, राज्य उत्पाद कानून और इसके अंदर बनाए गए नियम उस राज्य के भीतर लागू होंगे जहां इन्हें निर्मित किया गया और जहां राज्य उत्पाद कानून और उनके तहत बनाए गए नियम फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा की व्यवस्था नहीं है, वहां इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।"

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi

तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में संशोधन के कारण फुटकर विक्रय मूल्य का संशोधन और बिना बेचे गए स्टॉक की स्टिकरिंग, लागू राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों/ नीतियों/अधिसूचनाओं के अनुसार की जा सकती है।

प्रश्न संख्या 39: क्या परिवर्तनकाल (transition period) की समाप्ति से पहले निर्मित, पैक किए गए या आयातित गैर-निर्धारित आकार/मात्रा (जैसे 810 ग्राम, 2.43 किलोग्राम, 4.25 किलोग्राम, आदि) के खाद्य तेल पैकेज को 04.09.2026 के बाद भी बेचा जा सकता है? (E-35106)

उत्तर: हां, परिवर्तनकाल (transition period) समाप्त होने के बाद भी इन पैकेज को बेचा जा सकता है, बशर्ते कि वे 04.09.2026 को या उससे पहले निर्मित, पैक या आयात किए गए हों।

तीन महीने के परिवर्तनकाल (transition period) का उद्देश्य निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को निर्धारित मानक पैक आकारों (standard pack sizes) अपनाने के लिए काफ़ी समय देना है। इसलिए, 04.09.2026 तक उत्पादित या आयातित खाद्य तेल पैकेज बाज़ार में बने रह सकते हैं और मौजूदा स्टॉक खत्म होने तक बेचे जा सकते हैं।

हालाँकि, 05.09.2026 के बाद से, निर्दिष्ट प्रमुख खाद्य तेलों के सभी नए निर्मित, पैक किए गए या आयातित पैकेज निर्धारित पैक आकार के अनुरूप होने चाहिए।

प्रश्न संख्या 40: क्या साबुन, शैम्पू, दंत मंजन, अन्य शृंगार एवं प्रसाधन सामग्रियों वाले पैकेट पर मांसाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए लाल या भूरी बिंदी और शाकाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए हरी बिंदी दिखाना ज़रूरी है? (E-37056)

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 को सा.का.नि.826(अ) तारीख 21.09.2026 के ज़रिए संशोधन किया गया है, जो 21.09.2026 से प्रवृत है। इसके तहत, साबुन, शैम्पू, दंत मंजन, अन्य शृंगार एवं प्रसाधन सामग्रियों वाले पैकेट पर मांसाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए लाल या भूरी बिंदी और शाकाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए हरी बिंदी दिखाने की ज़रूरत को स्वैच्छिक (वॉलंटरी) बना दिया गया है। इसलिए, निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों इन नियमों के तहत अनिवार्य अन्य जानकारियों के साथ-साथ, ऐसी जानकारी को अतिरिक्त जानकारी के तौर पर दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या 41: विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 19 के तहत पंजीकरण, धारा 22 के तहत मॉडल का अनुमोदन, धारा 23 के तहत डीलर के रूप में पंजीकरण और धारा 24 के तहत सत्यापन/स्टांपन (मुहर लगाना) किस तरह के उपकरणों के लिए आवश्यक है? (E-29694)

उत्तर: विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 19 के तहत पंजीकरण, धारा 22 के तहत मॉडल का अनुमोदन, धारा 23 के तहत डीलर के रूप में पंजीकरण और धारा 24 के तहत सत्यापन/स्टांपन (मुहर लगाना) केवल उन बाट एवं माप उपकरणों के लिए आवश्यक है जो विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 और विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 के अंतर्गत आते हैं।

प्रश्न संख्या 42: सामान की कम डिलीवरी करने के इरादे से बाट और माप के उपकरणों में छेड़छाड़/ हेरफेर के मामलों में, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बने नियमों को लागू करने के लिए कौन सा प्राधिकरण ज़िम्मेदार है? (E-29694)

उत्तर: बाट और माप के मानकों को लागू करने का काम राज्य सरकारों के विधिक मापविज्ञान विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए, बाट और माप के उपकरणों में छेड़छाड़/ हेरफेर के मामलों में, राज्य के विधिक मापविज्ञान अधिकारी, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बने नियमों के संबंधित प्रावधानों को लागू करते हैं।

आशुतोष अग्रवाल/ASHUTOSH AGARWAL
निदेशक, विधिक माप विज्ञान/Director, Legal Metrology
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
उपभोक्ता मामले विभाग/Department of Consumer Affairs
भारत सरकार/Government of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi